



पूर्वोत्तर रेलवे

“लखनऊ मण्डल के इंजीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत
सी०से०ई०(रेलपथ)/बस्ती के अधीन कर्मचारी संख्या की समीक्षा”
विषय पर कार्याध्ययन।

द्वारा

कार्य कुशलता संगठन
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर

कार्याध्ययन सं० — एन०ई०/२६/२०१९-२०

मिसिल संख्या — प्र/५६०/१/२०१९-२०/२६

अधिशसकीय सार

1.	क्रम संख्या	—	26
2.	कार्याध्ययन संख्या	—	एन0ई0 / 26 / 2019—20
3.	मिसिल संख्या	—	प्र / 560 / 1 / 2019—20 / 26
4.	विषय	—	“लखनऊ मण्डल के इंजीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत सी.से.ई.(रेलपथ) / बस्ती के अधीन कर्मचारी संख्या की समीक्षा” विषय पर कार्याध्ययन।
5.	विभाग	—	इंजीनियरिंग
6.	प्राधिकार	—	वउमप्र महोदय द्वारा अनुमोदित वर्ष 2019—20 कि कार्याध्ययन सूची के अनुसार।
7.	संदर्भित सीमायें:—	(1)	सी.से.ई.(रेलपथ) बस्ती के अन्तर्गत वर्तमान कार्यभार का आंकलन करना।
		(2)	कार्यभार के अनुरूप आवश्यकतानुसार कर्मचारी संख्या का आंकलन करना।
		(3)	आवश्यकता से अधिक पाए गए पदों के अभ्यर्पण हेतु संस्तुति करना।
8.	कर्मचारी की स्वीकृत संख्या जिनका कार्याध्ययन किया गया	—	309
9.	संस्तुति सारांश	—	पृष्ठ संख्या— II
10.	अभ्यर्पण हेतु पदों की संख्या	—	20
11.	वित्तीय बचत	—	रू0 153.50 लाख प्रति वर्ष
12.	वितरण तिथि	—	दिसम्बर / 2019

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आभार	I
2.	संस्तुतियाँ	II
3.	वित्तीय परिणाम	III
4.	अध्याय—प्रथम	1—2
	प्रस्तावना, प्राधिकार एवं संदर्भित सीमायें ।	
5.	अध्याय— द्वितीय	3—6
	कर्मचारी की स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या ।	
6.	अध्याय— तृतीय	07—10
	आलोचनात्मक विश्लेषण, कर्मचारी संख्या का आंकलन एवं तदनुसार संस्तुतियाँ ।	

(I)

आभार

कार्याध्ययन दल श्रीमती मोनिका अग्निहोत्री, मण्डल रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय), श्री सुमीत वस, वरिष्ठ मंडल इंजी/प्रथम, लखनऊ, के प्रति गहन आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने कार्याध्ययन के सफल सम्पादन हेतु अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्याध्ययन दल श्री विवेक नन्दन सहायक मंडल इंजीनियर/गोंडा पूर्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता है जिन्होंने कार्याध्ययन में वांछित सहयोग हेतु संबंधित को निर्देशित किया।

कार्याध्ययन दल सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ)/बस्ती, के प्रति आभार भी व्यक्त करता है, जिन्होंने कार्याध्ययन से संबंधित वांछित सूचनायें एवं आंकड़े समयानुसार उपलब्ध कराने में विशेष सहयोग प्रदान किया।

(II)

संस्तुतियाँ

क्रमांक	संस्तुतियाँ	मद सं०
1.	यह संस्तुति की जाती है कि सी०से०ई०/रेल पथ/बस्ती के अधीन ट्रैकमैन के 20 पद जो आवश्यकता/ कार्यभार से अधिक पाये गये हैं, उन्हें अभ्यर्पित किया जाय ।	3.6.1

(III)

वित्तीय परिणाम

कार्याध्ययन में की गयी संस्तुतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप रेल प्रशासन को होने वाली अनुमानित वार्षिक बचत के आंकलन निम्नवत् है:-

पदनाम	वे०मान	ग्रेड पे	पदों की संख्या	औसत मूल्य प्रति पद प्रति माह (रु० में)	औसत मूल्य प्रति माह (रु० में)	वार्षिक आवर्ती बचत(रु० में)
ट्रैक मैन	5200-20200	1800	20	63995	1279900	15358800
योग			20			15358800

अतः रेल राजस्व की कुल आवर्ती वार्षिक बचत रु० एक करोड़ तिरपन लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ मात्र।

अध्याय— प्रथम

1.0 प्रस्तावना, प्राधिकार एवं संदर्भित सीमायें :-

1.1 किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए कारगर परिवहन आधार संरचना का मौजूद होना अति आवश्यक है। भारतवर्ष में रेलवे परिवहन का सबसे सुरक्षित, सस्ता एवं सुलभ साधन है। ट्रेनों के सुरक्षित एवं संरक्षित संचालन हेतु ट्रैक का रख-रखाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है, परन्तु ट्रैकों के रख-रखाव में अत्याधुनिक मशीनों के उपयोग को देखते हुए अनुरक्षण के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के अधिकाधिक भाग में ठेकेदारी प्रथा के समावेश से कार्यभार बहुत हद तक अपेक्षाकृत कम हो गया है।

1.2 अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदित कार्याध्ययन सूची के अनुसार वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे के निर्देश पर कार्यकुशलता संगठन द्वारा “लखनऊ मण्डल के इन्जीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत सी०से०ई०(रेलपथ)/बस्ती के अधीन कर्मचारी संख्या की समीक्षा” विषय पर कार्याध्ययन प्रारम्भ किया गया तथा कार्याध्ययन सम्पन्न करके अन्तिम स्वरूप दिया गया है।

1.3 कार्याध्ययन को निम्नलिखित संदर्भित सीमाओं के अन्तर्गत सम्पन्न किया गया है :-

(i) सी.से.ई.(रेलपथ)/बस्ती के अन्तर्गत वर्तमान कार्यभार का आंकलन करना।

(ii) कार्यभार के अनुरूप आवश्यकतानुसार कर्मचारी संख्या का आंकलन।

(iii) आवश्यकता से अधिक पाये गये पदों के अभ्यर्पण हेतु संस्तुति करना।

1.4 कार्याध्ययन विधि

1. सी०से०ई०(रेलपथ)/बस्ती द्वारा कार्यभार का विस्तृत विवरण प्राप्त करना।
2. सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) द्वारा दिये गये सभी आंकड़ों का परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करना।
3. संबंधित पर्यवेक्षकों से गहन विचार-विमर्श करना एवं उनके द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार करना।
4. कार्यभार को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कर्मचारी संख्या का आंकलन करना तथा अन्य सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विविध कार्यों हेतु भी कर्मचारियों की गणना करना।

अध्याय— द्वितीय

- 2.0 संगठनात्मक ढाँचा एवं कर्मचारियों की स्वीकृत व वास्तविक संख्या :—लखनऊ मण्डल में पी0वे0 संगठन मुख्यतः वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) के प्रशासनिक कन्ट्रोल में कार्यरत है। सीसेइं/पीवे/बस्ती मुख्य रूप से वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (प्रथम) के कार्य क्षेत्र में आता है। अपने अधीन विभिन्न सहायक मण्डल इंजीनियर के माध्यम से पी0वे0 इकाइयों का प्रभावी ढंग से संचालन, नियंत्रण व मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- 2.1 लखनऊ मण्डल के सी0से0इं0/पी0वे0/बस्ती के कर्मचारियों की स्वी0 एवं वास्तविक संख्या निम्नवत् है। कार्याध्ययन के समय मण्डल कार्यालय से 01.04.2019 का वेटेड बी.ओ0.एस. प्राप्त हुआ कार्याध्ययन की परिधि में एस.एस ई./पीवे/बस्ती को ही लिया गया है।
- 2.2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ)/बस्ती – कोटिवार सारांश :-

क्र.सं.	कोटि	स्वीकृत सं०	वास्तविक सं०
1	मेट	02	07
2	कीमैन	20	23
3	ट्रैकमैन	187	137
4	ट्रालीमैन	12	11
5	गेटमैन	71	48+12 संविदा गेटमैन
6	लोहार	04	01
7	हैमरमैन	00	00
8	वैल्डर	02	02
9	कारपेन्टर	01	00
10	चौकीदार	06	05
11	खलासी	04	01
	योग	309	235+12 संविदा गेटमैन

2.2.1 सीनियर सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ)/बस्ती के अन्तर्गत मानव संचालित गेटों का विवरण :-

क्र.सं.	गेटों की सं.	श्रेणी	पाली की अवधि
1	191 सी	सी	12 घंटा
2	193 सी	सी	12 घंटा
3	194 सी	सी	12 घंटा
4	195 सी	सी	12 घंटा
5	196 सी	सी	12 घंटा
6	197 बी	बी	12 घंटा
7	200 सी	सी	12 घंटा
8	201 स्पेशल	स्पेशल	08 घंटा
9	204 सी	सी	12 घंटा
10	205 सी	सी	12 घंटा
11	206 सी	सी	12 घंटा
12	210 सी	सी	12 घंटा
13	212 सी	सी	12 घंटा
14	217 सी	सी	12 घंटा
15	218 सी	सी	12 घंटा
16	220 सी	सी	12 घंटा
17	221सी	सी	12 घंटा
18	224 सी	सी	12 घंटा
19	226 सी	सी	12 घंटा
20	227 सी	सी	12 घंटा
21	228 सी	सी	12 घंटा
22	229 सी	सी	12 घंटा
23	230 सी	सी	12 घंटा
24	231 सी	सी	12 घंटा
25	233 सी	सी	12 घंटा
26	234 सी	सी	12 घंटा

2.2.2 सी०से०ई०(रेलपथ)/बस्ती का कार्यक्षेत्र :-

सी०से०ई०(रेलपथ)/बस्ती के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र का विवरण निम्नवत् है :-

(i) किमी 557/0 ओरवारा से 613/0 स्वामी नरायण छपिया तक

ट्रैक अनुरक्षण कार्य को सुचारु रूप से संचालन एवं नियंत्रण हेतु निम्न सेक्शनल सीसेइं/रेलपथ पदस्थापित किये गये हैं।

(1) सी०से०ई०(रेलपथ)/बस्ती/सेक्शनल का कार्यक्षेत्र :-

किमी 557/0 से 591/0 तक (ओरवारा, बस्ती, गोविन्दनगर, टीनिच)

(2) सी०से०ई०(रेलपथ)/बभनान का कार्यक्षेत्र :-

किमी 591/6 से 613/0 तक (टीनिच छोडकर, गौर, वभनान, परसा तिवारी एवं स्वामीनरायण छपिया)

2.3 पी०वे० मेट के कार्य :-

1. गैंग के कार्यो का पर्यवेक्षण करना।
2. गैंग को संरक्षा नियमों से अवगत कराना।
3. टूल्स/औजारों का रख-रखाव करना।
4. ट्रैक का साप्ताहिक निरीक्षण करना।
5. गैंग के द्वारा सम्पादित कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित कराना।

2.4 की मैन के कार्य :-

1. ट्रैक का प्रतिदिन दो बार पेट्रोलिंग करना।
2. पेण्ड्राल एवं टंग रेल का ग्रीसिंग करना।
3. क्रासिंग नोज का ग्रीसिंग करना।
4. लूज फिटिंग को टाइट करना।
5. जंगल सफाई करना।

2.5 ट्रैकमैन के कार्य :-

1. ट्रैक की खोलाई (oH) कार्य।
2. ट्रैक की पैकिंग।
3. ट्रैक की हंच क्लीनिंग।
4. ट्रैक में लगे फिश प्लेट/फिश बोल्ट की आयलिंग, ग्रीसिंग कार्य।
5. समपारों का रख रखाव।

2.6 गैंग का कार्यकाल :- सीसेइं/पीवे/बस्ती के अन्तर्गत कार्यरत गैंग बीटों का कार्यकाल समान्यतः निम्नवत् है :-

1. ग्रीष्म काल — (1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक)

06.30 से 11.30 बजे तक

15.00 से 18.00 बजे तक

2. शीत काल — (1 अक्टूबर से 31 मार्च तक)

07.30 से 12.30 बजे तक

14.00 से 17.00 बजे तक

2.7 सीसेइं/पीवे/बस्ती का कुल के.टी.एम. 222.52 है एवं कुल ट्रैक किमी —123.38 है।

2.8 सीसेइं/पीवे/बस्ती के अधीन वर्तमान में कुल 12 संविदा गेटमैन कार्यरत है।

2.9 सीसेइं/पीवे/बस्ती के अधीन सम्पादित हो रहे गैंग का विवरण।

क्र.सं.	बीट गैंग सं.	गैंग का मुख्यालय	गैंग बीट की कवरेज एरिया
1	13	ओरवारा	किमी 557 / 0—562 / 0 किमी
2	13 ए	—	किमी 562 / 0—568 / 3 किमी
3	14	बस्ती	किमी 568 / 3—573 / 3 किमी
4	14 ए	गोविन्दनगर	किमी 573 / 3—579 / 0 किमी
5	15	टिनीच	किमी 579 / 0—585 / 0 किमी
6	15 ए	—	किमी 585 / 0—591 / 0 किमी
7	16	गौर	किमी 591 / 0—596 / 5 किमी
8	16 ए	वभनान	किमी 596 / 5—602 / 0 किमी
9	17	परसा तिवारी	किमी 602 / 0—607 / 5 किमी
10	17 ए	स्वमीनरायन छपिया	किमी 607 / 5—613 / 0 किमी

नोट :- गैंग बीट सं. 13 ए एवं 15 ए जो गेट पर मुख्यालय है जिसका पर्यवेक्षकीय कार्य मेट द्वारा सम्पादित किया जाता है। कोई स्टेशन नहीं है। यह मुख्यालय ब्लाक सेक्शन के मध्य है।

अध्याय – तृतीय

3.0 आलोचनात्मक विश्लेषण, कर्मचारी संख्या का आंकलन एवं तदनुसार संस्तुतियों :-

3.1 विषयक कार्याध्ययन रेल की संरक्षा से संबंधित है। इस कार्याध्ययन में कार्य करने की विपरीत एवं दुरुह परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्य अवसरों पर पेट्रोलिंग इत्यादि में लगने वाले मैन आवर्स, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर ट्रैक मेन्टिनेन्स पर उपभोग होने वाले मैन पावर की बेंचमार्किंग, पर्यवेक्षकों एवं काम करने वाले कर्मचारियों से विचार-विमर्श इत्यादि को कर्मचारी संख्या के आंकलन में प्रमुख आधार रखा गया है।

3.1.1 विषयक कार्याध्ययन में लखनऊ मण्डल के बस्ती पी0वे0 इकाई को सम्मिलित किया गया है जो लखनऊ मंडल के सबसे व्यस्ततम ट्रैक स्ट्रैकचर में आता है। जहाँ से पूर्वोत्तर रेलवे की अधिकतम गाड़िया पास होती है एवं डबल गेज व मेन लाईन होने के कारण ट्रैक की संरक्षा में विशेष एवं प्रभावी ध्यान देना पड़ता है।

3.2 सीसेइ/पीवे/बस्ती हेतु आवश्यक कर्मचारी संख्या का आंकलन:-

3.2.1 मेट के पदों का आंकलन:-

सी0से0ई0/रेलपथ/बस्ती के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रों को 10 गैंगबीट में बाँटा गया है। प्रत्येक गैंगबीट में 01 मेट की आवश्यकता की दर से कुल 10 मेट प्रस्तावित किये जाते हैं। कुल ट्रैक किमी 123.38 है।

3.2.2 की मैन के पदों का आंकलन:-

एक गैंगबीट हेतु 02 की मैन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 10 गैंग बीट हेतु कुल 20 की मैन प्रस्तावित किये जाते हैं।

3.2.3 ट्रैकमैन के पदों का आंकलन :-

12 ट्रैकमैन प्रति गैंग बीट की दर से प्रस्तावित किए जाते हैं। इस प्रकार 10 गैंग बीट हेतु कुल $10 \times 12 = 120$ ट्रैकमैन प्रस्तावित किये जाते हैं।

3.2.4 ट्रालीमैन के पदों का आंकलन:-

सी०से०ई०/रेलपथ/बस्ती के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में 03 सीसेइं को ट्राली सुविधा प्रदान की गयी है। जो क्रमशः 02 सीसेइं/बस्ती एवं 01 सीसेइं/बभनान के पास है। प्रति ट्राली 04 ट्रालीमैन के अनुसार 03 ट्रालियों हेतु $3 \times 4 = 12$ ट्रालीमैन प्रस्तावित किये जाते हैं।

3.2.5 गेट मैन के पदों का आंकलन:-

सी०से०ई० रेलपथ बस्ती के अधीन कुल 26 गेट हैं जिनमें से 25 सी श्रेणी गेट एवं 01 स्पेशल क्लास गेट हैं। विदित है कि सी श्रेणी गेटों पर गेटमैन की ड्यूटी रोस्टर 12 घंटे का होता है जबकि स्पेशल क्लास गेट हेतु गेटमैनों का रोस्टर 08 घंटे का होता है।

22 साधारण गेट हेतु गेटमैनों की आवश्यकता	=	$25 \times 2 =$	50
01 स्पेशल क्लास गेट हेतु गेटमैन की आवश्यकता	=	$1 \times 3 =$	03
विश्रामदाता	=		09
कुल योग			62

3.2.6 आर्टीजन एवं हेल्पर खलासी कैटेगरी के पदों का आंकलन:-

सीसेइं/रेलपथ/बस्ती के अधीन विभिन्न आर्टीजन संवर्ग के कार्यों हेतु उनके कार्यभार एवं आवश्यकता को देखते हुए निम्नलिखित कर्मचारी संख्या प्रस्तावित की जाती है :-

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या
1	कारपेन्टर	01
2	वैल्डर	01
3	पेन्टर	01
4	लोहार	03
5	हेल्पर खलासी	06
योग		12

3.2.7 चौकीदार के पदों का आंकलन:-

सी0से0ई0/रेलपथ/बस्ती के कार्यालय, स्टोर ,वर्कशाप इत्यादि के चौकीदारी कार्यों हेतु चौकीदार के 04 पद प्रस्तावित किये जाते है। इनके विश्रामदाता की व्यवस्था विविध मदों में प्रस्तावित कर्मचारी संख्या से समायोजित किया जा सकता है।

3.2.8 विविध कार्यों हेतु पदों का आंकलन :-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	पदों की संख्या
1	विविध प्रकार की पेट्रोलिंग कार्य जैसे फॉग सिगनल, मानसून पेट्रोलिंग एवं संरक्षा पेट्रोलिंग संबंधी कार्यों हेतु।	17
2	पीवे यूनिट मुख्यालय से बाहर मंडलों में विविध कार्यों के संबंध में एवं मैटेरियल के आदान प्रदान, इश्यू नोट एवं चेंजिंग कार्यों के संबंध में।	
3	कार्यालय के कार्य में सहयोग, अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान आवश्यक कार्य विवरणी तैयार करना एवं टीएमएस फीडिंग तथा अन्य विविध एवं अलेखांकित कार्यों के संबंध में।	
4	स्पेशल वर्क, तथा सामग्री की लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्यों के संबंध में।	
योग		17

3.2.9 सीसेइं/रेलपथ/बस्ती हेतु आंकलित/प्रस्तावित पदों की समरी:-

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या
1	मेट	10
2	की मैन	20
3	ट्रैकमैन	120
4	ट्रालीमैन	12
5	गेटमैन	62
6	आर्टीजन एवं खलासी	12
7	चौकीदार	04
8	विविध कार्यों हेतु ट्रैकमैन	17
	योग	257
	अवकाषदाता @ 12.5%	32
	कुल योग	289

3.5 स्वीकृत, वास्तविक एवं प्रस्तावित पदों की समरी :-

पीवे यूनिट	स्वीकृत संख्या	प्रस्तावित संख्या	सरप्लस
बस्ती	309	289	20
योग	309	289	20

3.6 संस्तुतियाँ:-

- 3.6.1 यह संस्तुति की जाती है कि सी०से०ई०/रेल पथ/बस्ती के अधीन ट्रैकमैन के 20 पद जो आवश्यकता/कार्यभार से अधिक पाये गये हैं, उन्हें अभ्यर्पित किया जाय ।
